



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022023-243646
CG-DL-E-16022023-243646

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2023/माघ 26, 1944

No. 83]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2023/MAGHA 26, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 100(अ).—केन्द्रीय सरकार, कलकत्ता मेट्रो रेल (परिचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबंध, अधिनियम, 1985 (1985 का 10) की धारा 18 के साथ पठित रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलकाता मेट्रो रेल साधारण नियम, 2019 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोलकाता मेट्रो रेल साधारण (संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- आरंभिक पैरा के पश्चात् 'भाग-I' के अधीन शीर्षक "(उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर)" के स्थान पर शीर्षक "(सामान्य नियम)" रखा जाएगा।
- उक्त नियम में नियम 83 के पश्चात् 'भाग-II' के अधीन शीर्षक "(उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर)" के स्थान पर शीर्षक "(सीबीटीसी प्रणाली से भिन्न कार्य कर रही रेलगाड़ी)" रखा जाएगा।

4. नियम 203 के पश्चात् 'भाग-III' के अधीन शीर्षक "(पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर)" के स्थान पर शीर्षक "(सीबीटीसी प्रणाली के अधीन कार्य कर रही रेलगाड़ी)" रखा जाएगा।

[फा. सं. 2022/सेफ्टी (ए एंड आर)/19/23]

जया वर्मा सिन्हा, सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)

एवं पदेन सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 465 (अ) के तहत तारीख 1 जुलाई, 2019 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2023

G.S.R. 100(E).—In exercise of the powers conferred by Section 60 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), read with Section 18 of Calcutta Metro Railway (Operations and Maintenance) Temporary Provisions Act, 1985 (10 of 1985) the Central Government hereby makes the following rules to amend the Kolkata Metro Railway General Rules, 2019, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Kolkata Metro Railway General (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. After the opening paragraph, under 'PART-I', for the heading "(NORTH-SOUTH AND EAST-WEST CORRIDOR)", the heading "(COMMON RULES)" shall be substituted.

3. In the said rule, after rule 83, under 'PART-II', for the heading "(NORTH-SOUTH CORRIDOR)", the heading "(TRAIN WORKING UNDER OTHER THAN CBTC SYSTEM)" shall be substituted.

4. After rule 203, under 'PART-III', for the heading "(EAST-WEST CORRIDOR)", the heading "(TRAIN WORKING UNDER CBTC SYSTEM)" shall be substituted.

[F. No.2022/Safety(A&R)/19/23]

JAYA VARMA SINHA, Member(O &BD)
& Ex-Officio Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3 Sub-section (i), vide number G.S.R 465(E), dated the 1st July 2019.